

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 702

दिनांक 04/04/2022

प्रार्थीगण :-

1.सोनाराम पुत्र गंगाराम, जाति जाट
निवासी धीरासर, तहसील चौहटन
जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1.किसना पुत्र वीरमाराम 2.अणदू पत्नि दुर्गाराम 3.पता
4.मांगा 5.करना पि. वीरमाराम, जातियान भील, निवासी
नेतराड़ 6.वगताराम 7.बाबूलाल 8.रेखाराम पि.जगमालराम
9.नवली पत्नि जगमालराम, जातियान जाट
निवासी नेतराड़ 10.किसना पुत्र सुरता, जाति जाट,
निवासी धीरासर 11.हेमा 12.नरसिंगा 13.तिला 14.कुम्भा
पि.मांगा 15.श्रवण 16.रायचन्द पि.लुम्भा 17.हेमी पत्नि
लुम्भा, जातियान भील, निवासी नेतराड़
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 110/2019

दिनांक : 04.04.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र पोकरासर के मौजा धीरासर के खेत खसरा सं. 556 रकबा 24.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 703 to 706

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी सोनाराम
3. विप्रार्थीगण किसना वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 04/04/2022



उपखण्ड अधिकारी
चौहटन